quantities of seed of this variety were also supplied to Afganistan, Mangolia and also to the U.S.S.R. and it is reported that this variety has been released for cultivation in some of the Asian Republics of that country.

(b) Kalyan Sona was officially released on the recommendation of the 6th All India Wheat Research Workers' Workshop held at New Delhi in the year 1967 for cultivation all over India. It is still grown in U.P., Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, M.P., Orissa, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh. Since last 2 to 3 years Kalyan Sona has started showing susceptibility to a number of new races of yellow rust, brown rust and black rust. The area under this variety in almost all states excepting M.P., Gujarat and Maharashtra has also been declining slowly. Indian Scientists have already developed varieties like Arjun, HD 2122, HD 2177, HD 2204, WL 711, WL 410, IWP 72, Pratap, Janak etc. which show a reasonable measure of field resistance to rusts under field conditions when Kalyan Sona shows high susceptibility. Seeds of these varieties have been made available to farmers through mini-kit demonstration trials. Varietal diversity is essential for avoiding extensive damage under conditions which are favourable to the pathogen.

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 दिनांक 21-11-77 के उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ NO. 1083 DATED 2-11-1977

आगरा में ऐतिहासिक स्थानों पर टिकटों के बेचने से प्राप्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में श्री रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 1083 के 21-11-1977 को लोक-सभा में दिये गये उत्तर में प्रथम अनुच्छेद को संशोधित करके निम्न रूप में पढ़ा जाए :

(क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा में केन्द्र द्वारा संरक्षित चार स्मारकों पर प्रति दर्शक से केवल पचास पैसे प्रवेश शुल्क वसूल करता है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1968 के अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जाता है। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि राजस्वरूप में सरकार को दी जाती है। स्मारकों के रख-रखाव के लिये बजट में अलग से व्यवस्था है।

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* P.M.s VISIT TO NEPAL

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसा कि सदन को मालूम है मैं कल नेपाल से लौटा। यह उचित है कि मैं अपने पड़ौसी मित्र देश के बारे में एक संक्षिप्त बयान सदन को पेश करूं।

इस साल पिछले सितम्बर में नेपाल में सरकार बदली और उसके बाद माननीय कीर्ति निधि बिष्ट ने मुझे नेपाल आने का निमंत्रण दिया। अपने पड़ौसी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निमंत्रण तुरन्त स्वीकार कर लिया। मेरे साथ विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी गये और उनकी सलाह मुझे प्राप्त थी।

हम भौगोलिक और आपसी आर्थिक हितों की दृष्टि तथा परस्पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से इस तरह जुड़े हैं, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी।

भारत सरकार की ओर से नेपाल नरेश तथा उनकी सरकार तथा जनता को यह बताने का मुझे मौका मिला कि भारत इस प्रचीन राज्य के साथ मैत्री रखता है और अपने संबंध इस तरीके से बढ़ाना चाहता है जिससे एक दूसरे की स्वतंत्रता के प्रति आदर-भाव हो, हम दोनों आपसी हित के लिए काम करें और जिसमें दोनों को फायदा हो। नेपाल की जनता तथा नरेश तथा उनकी सरकार की ओर से जो मेरा हार्दिक स्वागत हुआ इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं नेपाल नरेश से मिला और प्रधान मंत्री बिष्ट से मैंने व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। इस यात्रा के आखिर में जो विज्ञप्ति जारी की गई वह सदन की मेज पर रख दी गई है, जिससे इस बात का पता चलता है कि कितने व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और आपसी लाभ के समझौते हुये।

इस संयुक्त विज्ञप्ति से माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि दोनों पक्ष इस बात की जरूरत समझते हैं कि समता और आपसी हित के आधार पर अपने आर्थिक संबंध और मजबूत किये जायें। इसी भावना से हम लोगों में इस बात पर सहमति हो गई कि उन नदियों की योजनाओं को तरजीह दी जाये जो हमारे दोनों देशों की जोड़ती हैं और जिनसे हम दोनों को कई फायदे हैं। देवीघाट योजना को भी तरजीह दी जायेगी, जिसे नेपाल सरकार बहुत महत्व देती है। इस संयुक्त प्रयास की जरूरत और महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस काम में देर करने से दोनों को नुकसान होगा। हिमालय में असीम सम्पदा हो सकती है और इसकी उपेक्षा से भविष्य में हम दोनों के हितों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। करनाली, महाकाली राप्ती और त्रिसूली नदी योजनाओं को तुरन्त लागू करने के खास उपायों पर समझौते हो गये हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि 1971 की भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि अगस्त में खत्म हो चुकी है, परन्तु जब तक इसकी जगह पर कोई नये प्रबंध नहीं किये जाते, इसे चलते रहने दिया जायेगा। नये प्रबंधों के संबंध में अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान पहले जो बातचीत हुई है उसकी समीक्षा की गई और इस बात पर सहमति हुई कि हालांकि व्यापार द्विपक्षीय मामला है, तीसरे देशों के साथ नेपाल का व्यापार प्रबंध एक अलग विषय है।

हमारे आर्थिक संबंधों में समान सीमा का होना एक खास बात है। यद्यपि, इसमें शक नहीं कि प्रत्येक देश की अपनी आर्थिक तथा व्यापार संबंधी नीतियों को निर्धारित करने का स्वतंत्र अधिकार है, फिर भी नेपाल के प्रधान मंत्री तथा मैंने तुरन्त इस बात को माना है कि दोनों देशों के हित में ऐसे सामान के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। अतः हमने निश्चय किया है कि इस संबंध में एक अलग करार किया जाना चाहिए जिसमें हमारी खुली सीमा पर समान के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए प्रभावी उपायों की व्यवस्था होगी। इन दो समझौतों तथा एक अलग करार करने के निर्णय से यह पता चलता है कि दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता तथा संवेदनशीलता का इतना आदर करते हैं कि एक देश की आर्थिक नीतियां दूसरे देश को कोई नुकसान न पहुंचा सकें।

माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत तथा नेपाल दोनों देश गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के प्रति वचनबद्ध हैं। दोनों सरकारें एक

दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास के वातावरण को तैयार करने तथा एक दूसरे की खुशहाली में अपनी मैत्री भावना का आश्वासन प्रदान करने के लिए ये नीतियां बहुत सहायक हैं। भारत-नेपाल संबंधों को इस आधार पर और मजबूत किया जायेगा कि हम दोनों के बीच सच्चा सहयोग हो और इस प्रकार सारे प्रदेश में शांति और स्थायित्व रहे।

इस अवसर पर महामहिम की सरकार तथा नेपाल के प्रधान मंत्री के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी नेपाल यात्रा के दौरान मुझे तथा मेरे प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का हार्दिक तथा सद्भावपूर्ण स्वागत किया। मैं नेपाल नरेश तथा महारानी को उनके सत्कार तथा उनके साथ समान विषयों पर बड़े सद्भावपूर्ण तथा स्पष्ट विचार-विमर्श के लिए आभार प्रकट करता हूं। अपनी यात्रा, विचार-विमर्श तथा मैत्री और सद्भाव के सुन्दर वातावरण से मुझे इस बात पर विश्वास हुआ है कि भारत के रवैये के बारे में जो आशंकाएं तथा गलतफहमियां थीं वह दूर हो गयी हैं। हम दोनों देशों के बीच एक सच्चे मित्र की तरह संबंध फिर कायम होने चाहिएं जैसा कि उन देशों के बीच होना उचित है जिन्हें शांति और प्रगति में पूरी आस्था है।

पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* APPOINTMENT OF COMMITTEE ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए आज एक समिति नियुक्त की है जिसके चैयरमैन श्री अशोक मेहता होंगे। संकल्प की प्रति, जिसमें समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों की जानाकारी दी गई है, सभा पटल पर रखी गई है।

संकल्प

कृषि उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार के अवसर जुटाने, गरीबी को हटाने तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का विचार है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों क्षेत्रों, आयोजन तथा उसके कार्यान्वयन, में सर्वाधिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। तदनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मशविरा करके, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उनको सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि आयोजन और विकास की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :—

1. श्री अशोक मेहता — अध्यक्ष
2. श्री कर्पूरी ठाकुर, मुख्य मंत्री, बिहार
3. श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्य मंत्री, पंजाब
4. श्री एम० जी० रामचन्द्रन, मुख्य मंत्री, तमिलनाडु